(2021) 12 एससीआर 103

गीता मिश्रा

बनाम

सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय तथा अन्य

(सिविल अपील सं0 7917 वर्ष 2021)

नवम्बर 16, 2021

(इन्दिरा बनर्जी तथा जे.के. माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण)

सेवाविधिः- अभिदायी भविष्य निधि स्कीम-विश्वविद्यालय द्वारा चालू स्कीम का लागू होना- वर्तमान मामले में, अपीलार्थीनी का पति जिसे बतौर-प्राध्यापक नियुक्त किया था 24.02.1995 को नियोजन के अनुक्रम के दौरान मरा था- सेवा के दौरान, इसने अभिदायी भविष्य निधि स्कीम चुना था- इसके मृत्यु के बाद, सभी सेवानिवृत्ति लाभों को चुकता किया गया था तथा प्रयोग किये गये विकल्प के अनुसार संदत्त किया गया था-तत्पश्चात, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने स्कीम में निबंधनो तथा शर्तो के अनुसार नये विकल्प का प्रयोग करने के लिए" एक और अवसर" देने के लिए ऐसे शिक्षण तथा शिक्षेणतर कर्मचारियों के लिए स्कीम चालू किया था, जो 01.04.1972 को या बाद में सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे- मृतक कर्मचारी की अपीलर्थीनी-पत्नी ने स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया था-उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने स्कीम के लाभ को अनुज्ञात किया था-फिर भी खण्डपीठ ने एकल न्यायमूर्ति के आदेश को अपास्त किया था- अपील पर, अभिनिर्धारितः स्कीम के अन्तर्गत, यदि कर्मचारी जिसने विकल्प का प्रयोग नही किया था तथा 01.04.1972 को या बाद में सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गया था, परिवार को निबंधनो तथा शर्तो के अधीन "नये विकल्प" का प्रयोग करने के लिए अवसर दिया जाता है-चूकि अपीलार्थीनी के पति ने पहले ही अपने मृत्यु के पहले विकल्प का प्रयोग किया था-प्रचलित स्कीम के अब्तगत सभी लाभो को परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था- अतः अपीलर्थीनी के पास एक और बार लाभ को प्राप्त करने के लिए नये विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार नही था-हस्तक्षेप का उचित आधार नही।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः स्कीम की शर्त सं05 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि ऐसे कर्मचारी जो 01.04.1972 को या बाद में विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे अपने विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गये है, तत निबंधनो तथा शर्तो के अधीन इन्हें एक और अवसर देने वाले नये विकल्प का प्रयोग करने के लिए इसका परिवार पात्र होगा। अपीलार्थीनी के पति ने पहले ही अपने मृत्यु के पहले विकल्प का प्रयोग किया था। प्रचलित स्कीम के अन्तर्गत इस प्रकार प्रयोग किये गये विकल्प के अनुसार सभी लाभो को परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया है । उक्त आकस्मिकता में, स्कीम के निवधनो तथा शर्तो के अनुसार, अपीलीर्थीनी के पास पुनः विकल्प को प्रयोग करने के लिए एक और अवसर का लाभ प्राप्त करने के नये विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। (पैरा 3,5) (107-सी.ई)

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं0 7919 वर्ष 2021 एलपीए सं0 123 वर्ष 2016 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 29.10.2018 से

आदित्य शेखर प्रसाद, समीर कुमार, शाहरूख अहमद, साहिल चैधरी, मंदीप वैसला, अपीलार्थीनी के अधिवक्तागण

राजीव सिंह, सामंत सिंह, कुमार अरूणीश सिंह, अभिषेक विक्रम, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय जे.के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत

2. एल.पी.ए सं0 123 वर्ष 2016 में झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 पर अभ्याक्रमण करते हुए, अपीलार्थीनी ने उपर्युक्त को अपास्त करने तथा रि0या0 (एस) सं0 4441 वर्ष 2010 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 को प्रत्यावर्तित करने के अनुरोध के साथ यह अपील दाखिल किया है।

3. वर्तमान मामले में विवाद पत्र सं0 एक से एसकेयु/202/98 दिनांक 30.07.1998 (संक्षेप में स्कीम) द्वारा प्रत्यर्थी- विश्वविद्यालय द्वारा चालू स्कीम के लागू होने तक सीमित है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे कर्मचारीगण, जो 01.04.1972 को या बाद में विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, यदि विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गये थे, इनके पास उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट नये विकल्प का प्रयोग करने का एक और अवसर है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नये विकल्प का प्रयोग करने का "एक और अवसर" को उक्त स्कीम में दिया गया था तथा मिलते जुलते मामलों 27.06.2009 को विनिश्चित रि0या0 (एस) सं0 4452 वर्ष 2007 तथा रि0या0 (एस) सं0 4453 वर्ष 2007 में, उपर्युक्त लाभ इसमें याचीगण को दिया गया था। उक्त मामलें में, एल.पी.ए. सं0 395 वर्ष 2009 तथा 397 वर्ष 2009 को खारिज किया गया था। इसलिए, अपीलर्थीनी को स्कीम के लाभ के लिए हकदार ठहराया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा एल.पी.ए. दाखिल करने के बाद, विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश को वह धारित करते हुए अपास्त किया गया है कि स्कीम का लाभ केवल उन लोगो के लिए होता है, जिन्होने इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि को मृत्यु के पहले अपने विकल्प का प्रयोग नही किया है। वर्तमान मामलें में, विकल्प का प्रयोग अपीलार्थीनी के पति द्वारा किया गया था। इसलिए, अपीलर्थीनी स्कीम के अन्तर्गत दूसरे विकल्प का प्रयोग करने की हकदार नही थी तथा विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अपीलार्थीनी को लाभ ने देकर त्रुटि किया था। उक्त आदेश को आक्षेपित करते हुए, मृतक कर्मचारी की पत्नी ने यह अपील दाखिल किया है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात, यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीनी के पति को रसायन विभाग, गोड्डा कालेज, गोड्डा में बतौर प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। इसे रीडर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। वह 24.02.1995 को नियोजन के अनुक्रम के दौरान मर गया था। सेवा के दौरान, अपीलार्थीनी के पति ने अभिदायी भविष्य निधि को चुना था। विकल्प के अनुसार, वेतन से 10 की दर पर नियमित कटौती किया जा रहा था। मृत्यु के बाद, सभी सेवानिवृत्ति लाभो को चुकाया गया था तथा प्रयोग किये गये विकल्प के अनुसार संदत्त किया गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षण तथा शिक्षेणतर कर्मचारियों को स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार 'नये विकल्न का प्रयोग के लिए 'एक और अवसर' देने के लिए स्कीम दिनांक 30.07.1998 चालू किया था जो 01.04.1972 को या बाद में विश्वविद्यालय की सेवा से सेनानिवृत्त हुए थे। स्कीम का खण्ड 5 वर्तमान मामले के प्रयोजन हेतु सुसंगत है, जिसे इस प्रकार दोहराया जाता हैः

"सिधो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका

पत्र सं0 केयू/एसीसी/202/98 दिनांक 30.07.1998

प्रेषकः रजिस्ट्रार

सिधो कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

प्रेषितीः (1) प्रशासनिक प्रमुख, पी.जी. सेन्टर, दुमका

(2) बी.एस. के. कालेज बारहरवा तथा मिल्लत कालेज, परसा के सिवाय सिधो कान्हू विश्विद्यालय, दुमका के अन्तर्गत घटक कालेजों (गोड्डा कालेज गोड्डा) के सभी प्रधानाचार्यगण

विषयः- सेवानिवृत्ति लाभ परिनियमों के मंजूर किये जाने के अन्तर्गत नये विकल्प का प्रयोग

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह अवगत कराने के लिए निदेशित किया गया है कि कुलपति द्वारा विभाग, सिदधू कान्हू विश्वविद्यालय तथा इसके घटक कालेजों जो विश्वविद्यालय से संयोजित है। घटक कालेजो के सभी शिक्षण तथा शिक्षेणतर कर्मचारियों को 01.04.78 के पहले सेवा का एक और अवसर दिये जाने का आदेश दिया गया है, यदि ये निम्न निबंधनो तथा शर्तो के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लाभ परिनियमो के मंजूर किये जाने में वैकल्पिक स्कीमों में किसी एक के लिए नये विकल्प को प्रयोग करना चाहते हैः

क. सामान्य भविष्य निधि- सह- पेंशन-सह-ग्रेच्यूटी स्कीम

ख. अभिदायी भविष्य विधि-सह-ग्रेच्यूटी स्कीम जिसमें भविष्य निधि में कर्मचारी का अभिदाय कर्मचारी के वेतन के 8 तक सीमित होगा।

ग. मात्र अभिदायी भविष्य निधि, जिसमें नियोक्ता का अभिदाय कर्मचारी के वेतन का 10 होगा।

निबंधन तथा शर्ते

1. xx xx xx xx xx xx
2. xx xx xx xx xx xx
3. xx xx xx xx xx xx
4. xx xx xx xx xx xx

"5. यदि ऐसे कर्मचारीगण जो 1 अप्रैल,1972 को या बाद मे विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे लेकिन परिनियम के अनुच्छेद (4) के अन्तर्गत अपने विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गये है, इसका परिवार स्कीम के बीच विकल्प का प्रयोग करने लिए पात्र होगा परन्तु यदि परिवार स्कीम में दिये गये स्कीम को चुनता है।

क. इसे नगदी या ग्रेच्यूटी के धनराशि से समायोजन द्वारा या दोनों इस पर ब्याज के साथ मृतक कर्मचारियो के अभिदायी भविष्य निधि के विश्वविद्यालय अंश को प्रतिदाय करना होगा तथा नगदी मृतक के अभिदायी भविष्य निधि के नियोक्ता का अंश जो इस पर ब्याज के साथ मृतक के वेतन से 8 अधिक है, लेकिन तत्पश्चात पेंशन / कुटुम्ब पेंशन के लिए हकदार होगा, इन्हे देय होगा।

6. xxxx xxxxxx

आपका निष्ठावान

कुलसचिव

एस. के. विश्वविद्यालय

दुमका

5. स्कीम के परिशीलन के बाद, यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारी ने जिसने विकल्प का प्रयोग नही किया है तथा 01.04.1972 को या बाद में सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गया है, परिवार को शर्तो के अधीन भविष्य निधि के स्कीम के अन्तर्गत, जैसा ब्याज के साथ ग्रेच्यूटी के धनराशि के समायोजन हेतु स्कीम में विनिर्दिष्ट है नये विकल्प का प्रयोग करने का अवसर दिया गया है। अपीलर्थीनी ने रिट न्यायालय के समक्ष उक्त स्कीम के लाभ के लिए अनुरोध किया था, जिसे अभिव्यक्ति "एक और अवसर" तथा प्रयोग" नये विकल्प का त्रुटिपूर्ण तरीके से निवर्चन करते हुए विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था। एक और अवसर" के रूप में "नये विकल्प" का प्रयोग करने के लिए उक्त अवसर उन निबंधनो तथा शर्तो के अधीन था जैसा स्कीम दिनांक 30.07.1998 में विनिर्दिष्ट है। स्कीम का शर्त 5

स्पष्ट से निर्दिष्ट करता है कि ऐसे कर्मचारी, जो 01.04.1972 को या बाद में विश्वविद्यालय की सेवा से सेवा निवृत्त हो गये थे अपने विकल्प का प्रयोग करने के पहले मर गये है, तब इसका परिवार निबंधनो तथा शर्तो के अधीन एक और अवसर देने वाले नये विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र होगा।

6. वर्तमान मामले में, यह खण्डन नही किया गया है कि अपीलार्थीनी के पति ने पहले ही अपने मृत्यृ के पहले विकल्प का प्रयोग किया था। प्रचलित स्कीम के अन्तर्गत इस प्रकार प्रयोग किये गये विकल्प के अनुसार सभी लाभों को परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त आकस्मिकता में, स्कीम के निवंधनों तथा शर्तो के अनुसार, अपीलार्थीनी के पास पुनः विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक और अवसर का लाभ प्राप्त करने हेतु नये विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार नही था। आक्षेपित आदेश द्वारा, खण्ड पीठ ने उचित रीति से स्कीम के खण्ड 5 का निवर्चन किया है तथा उचितरीति से विद्वान एकल न्यायमूर्ति के आदेश को अपास्त किया है। हमारी राय में, खण्ड पीठ ने चुनौती दिये गये आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि नही किया है। इसलिए, इस अपील में हस्तक्षेप का उचित आधार नही है।

7. तदनुसार, इस अपील को खारिज किया जाता है। खर्चो के संबंध में कोई आदेश नही।

यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।